फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

परमात्मा सिंह बनाम कुलदीप सिंह

प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 RTA

प्रकरण सं. 12 सन् 2025 जी.सी.एम.एस. नं. 2025/21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
14/2/25	आज प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 12/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
12/3/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आइन्दा दिनांक 15/4/25 को प्रस्तुत हो।	
15/4/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रति स. 1 व 2 की ओर से श्री मुन्नाराम जागू एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रति सं. 1 ता 3 आइन्दा दिनांक 6/5/25 को पेश हो।	
6/5/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रति० स. 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल है। एक प्रति वकील वादी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते स्टे जवाब आइन्दा दिनांक 21/5/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 1[illegible]:42:40 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक
2/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। वास्ते स्टेट जवाब आइन्दा दिनांक 23/6/25 को पेश हो।	
23/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। पूर्व आदेशों की पालना में आइन्दा दिनांक 25/6/25 को पेश हो।	
25/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली 26/6/25 को पेश हो।	
26/6/25 मनदीप सिंह कुलदीप सिंह (एड. अमित बत्रा)	पत्रावली प्रस्तुत। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा के साथ सहमति पत्र दिनांक 23.5.25 की फोटोप्रति पेश की तथा जाहिर किया की हमारे मध्य आपसी राजीनामा तस्दीक करने की कृपा करें। चूंकि प्रकरण के पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है तथा सहमति पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है मुताबिक राजीनामा वाद पत्र निस्तारित किया जाता है। मिसल बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो व पूर्व नकल [illegible] हो। सुरेश राव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र

न्यायालय उप जिला कलैक्टर
अनूपगढ

परमात्मा सिहं पुत्र टहल सिहं जाति जटसिख उम्र 48 वर्ष निवासी ज्वालासिहं वाला तहसील व जिला हनुमानगढ जरिऐ मुख्त्यारआम गुरदितसिहं पुत्र मनजीतसिहं जाति जटसिख निवासी चक 77 जी बी (ए) तहसील अनूपगढ

...वादी

बनाम्

1. कुलदीपसिहं पुत्र तेजासिहं जाति जटसिख निवासी 22ए पी डी ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. मनदीपसिहं पुत्र तेजासिहं जाति जटसिख निवासी 22ए पी डी ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व),अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

..प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत जारी किए जाने स्थाई निषेधाज्ञा । बर बिना साक्ष्य हर किस्म

श्रीमान्जी,

वादी निम्न निवेदन करता है:-

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र जाब्ता दिवानी के प्रावधानो के अर्न्तगत नियमानुसार दो प्रतियों मे मय शपथपत्र पेश है।
2. यह कि वादी के नाम से सयुक्तं खाता में वाके चक 77 जी बी (ए) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.21 पत्थर सं.280/416 का किला नं.1/1,1/2, 2 ता8, 13,14,15,18/1 की कुल 2.846 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं.10 पत्थर सं.283/415 का किला नं.12/2,18,19,22,23,24 की 1.455 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं.33 पत्थर सं.289/418 का किला नं. 7,8,11,12,13,14 की 1.518 हैक्टर इस प्रकार कुल तादादी 5.819 हैक्टर नहरी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी के नाम 3/23 व 1/2 हिस्सा भूमि सयुक्तं रूप से दर्ज है वादी की ओर से गुरदितसिहं पुत्र मनजीतसिहं मुख्तयारआम नियुक्त एवं अधिकृत है मुख्तयारआम गुरदितसिहं को वाद से सम्बधित समस्त तथ्यों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से है इसलिए वाद पत्र मुख्तयारआम गुरदितसिहं की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है मुख्तयारनामा की प्रति सलग्नं वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.10.08 13:42:40 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वादी के पिता टहलसिहं पुत्र कपूरसिहं के नाम से चक 22 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.8 पत्थर सं.283/407 का किला नं.20/2 में 0.55 हैक्टर व 21/3 में 0.071 हैक्टर कुल 0.126 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं वादी का पिता उपरोक्त कृषि भूमि को सयुक्तं काश्त करते है। जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रति सलग्नं वाद पत्र है।

4. यह कि वादी व उसके पिता टहलसिहं द्वारा अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की बेहतर सिंचाई सुविधा व सुधार के लिऐ चक 22 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.8 पत्थर सं.283/407 का किला नं.20/2 में टयूवबैल स्थापित करने के उपरांत इस टयूवबैल से भूमिगत पाईप लाईन प्रतिवादी सं.1व2 के पिता की मौखिक सहमति से तथा अन्य काश्तकारान की मौखिक सहमति से करीब 13 मुरब्बो की दूरी पर अपनी कृषि भूमि में भूमिगत पाईपलाईन अरसा करीब 10 वर्ष पूर्व स्थापित करवाई थी जिसमें प्रतिवादी सं.1व2 तथा इनके पिता तेजासिहं ने भूमिगत पाईपलाईन डालने में सहमति दी थी तथा जिसके आधार पर ही वादी व वादी का पिता अपने उक्त टयूवबैल से डालीगई पाईप लाईन से अपनी उपरोक्त कृषि भूमि को सिचिंत कर रहा है उपरोक्त पाईप लाईप प्रतिवादी सं.1व2 के पिता तेजासिहं पुत्र बगडसिहं के नाम सयुक्तं खाता की कृषि भूमि चक 22 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.14 पत्थर सं.284/408 के किला नं. 5,6,15,16,25 मे से निकल रही है तथा वादी के पिता की उक्त कृषि भूमि में स्थापित टयूवबैल मोटर के लिऐ विधूत कनैक्शन भी वादी के पिता के नाम से है जिसके बिल की प्रति सलग्नं है।

5. यह कि चूंकि वादी व उसके पिता द्वारा प्रतिवादी सं.1व2 तथा इनके पिता तेजासिहं की सहमति से ही भूमिगत पाईप लाईन डाली गई थी जो भूमि के नीचे करीब 3 फुट अन्दर डाली हुई है जिससे प्रतिवादी सं.1व2 को अपनी कृषि भूमि की काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नंही है प्रतिवादी सं.1व2 के पिता तेजासिहं का करीब 6–7 माह पूर्व देहान्त हो चुका है जिसके बाद अब प्रतिवादी सं.1व2 द्वारा पिछले कई दिनो आए रोज वादी की भूमि में दखलन्दाजी की जाती है तथा वादी को यह धमकीयां दी जा रही है कि वे वादी के अधिकार व अधिपत्य की भूमि में दखलन्दाजी करेगें तथा उनकी भूमि में वादी व उसके पिता द्वारा डाली गई उक्त पाईपलाईन से वादी की भूमि को प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा से वंचित करेगें तथा पाईप लाईन को तोड कर क्षतिग्रस्त कर देंगे और वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करेगें जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कतई विधिक अधिकार नहीं है, ना ही प्रतिवादी सं. 1व2 वादी की खातेदारी कृषि भूमि व उसकी सिंचाई के लिऐ भूमि में डाली गई भूमिगत पाईपलाईन में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने के अधिकारी है।

6. यह कि वादी निवेदन करता है कि वादी व उसका पिता ने प्रतिवादी सं.1व 2 व इनके पिता तेजासिहं तथा अन्य काश्तकार की मौखिक सहमति से ही अपने मुरब्बा में बेहतर सिंचाई सुविधा के लिऐ चक 22 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:40 IST
Reason: SelfAttested

नं.8 पत्थर सं.283/407 का किला नं.20/2 में ट्यूवबैल स्थापित कर उपरोक्तानुसार भूमिगत पाईपलाईन गुजारते हुऐ वादी के उपरोक्त मुरब्बा तक पाईन लाईन डाली गई थी जिससे पूर्व में प्रतिवादी सं.1व2 तथा इनका पिता पुर्णतया सहमत था लेकिन अब प्रतिवादी सं.1व 2पिछले कई दिनो से वादी की खातेदारी कृषि भूमि व उसके द्वारा डाली गई उक्त भूमिगत पाईपलाईन में व्यवधान पैदा करने हेतू प्रयासरत है जबकि प्रतिवादीगण को यह कतई विधिक अधिकार नंही है कि वह वादी की खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे और उसके द्वारा डाली भूमिगत डाली गई पाईपलाईन व वादी की कृषि भूमि व उसके लिऐ प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा में किसी तरह का व्यवधान पैदा करे प्रतिवादी सं. 1व2 का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है।

7. यह कि आज से अरसा करीब तीन दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी सं.1व2 को समझाईश कि वादी ने अपनी कृषि भूमि में बेहतर सिंचाई सुविधा व सुधार के लिऐ अपना ट्यूवबैल स्थापित किया था और अपने स्वयं के हजारो रूपये लगाकर व अपनी मेहनत से व प्रतिवादी सं.1व2 तथा इनके पिता की सहमति स्वरूप अपने द्वारा स्थापित ट्यूवबैल से भूमिगत पाईप लाईन अपने स्वयं के खर्चे पर डाली है अब अगर आप उसे तोडकर क्षतिग्रस्त कर देगें तो इससे वादी व उसका पिता अपनी जरूरत अनुसार अपने ट्यूवबैल का पानी का प्रयोग नंही कर सकेगे इससे वादी को अपने पानी का नुकसान होगा लेकिन प्रतिवादी सं.1व2 ने वादी की कोई बात सुनने से इन्कार कर दिया और स्पष्ट धमकी दी कि वे वादी को उसकी कृषि भूमि काश्त नंही करने देगें और वादी की पाईपलाईन को शिघ्र ही उखाड देगें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है।

8. यह कि वादी व उसके पिता ने अपने मुरब्बा में बेहतर सिंचाई सुविधा के लिऐ चक 22 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.8 पत्थर सं.283/407 का किला नं.20/2 में अपना ट्यूवबैल स्थापित किया था और अपने स्वयं के हजारो रूपये लगाकर व अपनी मेहनत से अपने द्वारा स्थापित ट्यूवबैल से भूमिगत पाईप लाईन प्रतिवादी सं.1व2 व इनके पिता की सहमति स्वरूप ही अपने स्वयं के खर्चे पर डाली है अब अगर प्रतिवादी सं.1व2 वादी की डाली गई भूमिगत पाईपलाईन को तोडकर क्षतिग्रस्त कर देते है तो इससे वादी को पानी का नुकसान होगा जबकि प्रतिवादी सं.1व2 को यह कतई अधिकार नंही है कि वह वादी की खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे व वादी की भूमिगत डाली गई पाईप लाईन में कोई बाधा उत्पन्न करे लेकिन प्रतिवादी 1व 2 जबरदस्ती बिला अधिकार वादी की खातेदारी भूमि में प्रवेश कर वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी पैदा करने तथा वादी की डाली गई पाईप लाईन को उखाडने पर उतारू है अगर प्रतिवादीगण अपने उक्त नापाक ईरादे में कामयाब हो गये तो इससे वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपुर्ति मुद्रा की ऐवज मे नंही हो सकेगी इसलिऐ वादी का यह विधिक अधिकार है कि वह अपने खातेदारी अधिकारो की सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2025.10.08 13:42:40 IST
Reason: SelfAttested

करे ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है ।

9. यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है।

10. यह कि प्रतिवादी सं. 3 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी एवं भूमिधारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार बतौर प्रतिवादी सं.3 बनाया गया है।

11. अनुतोषः— अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न रूप से निर्णीत एवं डिक्री फरमाया जावेंः—

(क) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि प्रतिवादी सं.1व2 वादी की खातेदारी भूमि वाके चक 77 जी बी (ए) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.21 पत्थर सं.280/416 की 2.846 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं.10 पत्थर सं.283/415 की 1.455 हैक्टर नहरी व मुरब्बा नं.33 पत्थर सं.289/418की 1.518 हैक्टर इस प्रकार कुल तदादी 5.819 हैक्टर नहरी खातेदारी पर वादी के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से तथा चक 22 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.8 पत्थर सं.283/407 का किला नं.20/2 मे स्थापित वादी के टयूबवैल से वादी के उपरोक्त रक्बा तक वादी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन जो प्रतिवादी सं. 1व2 के पिता के नाम की चक 22 ए पी डी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.14 पत्थर सं.284/408 के किला नं. 5,6,15,16,25 में डाली हुई है मेंकिसी प्रकार क्षति करने से और वादी को इस भूमिगत पाईप लाईन से प्राप्त हो रही सिंचाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बाज वा ममनू रहे

(ख) कि वाद व्यय वादी को प्रतिवादी सं.1 से दिलाया जावें।

(ग) कि अन्य दादरसी करीने इन्साफ, बहक वादी हो तो वादी को प्रदान की जावें। कृपा होगी। दिनांक 10/2/2025

वादी

परमात्मा सिहं पुत्र टहल सिहं जाति जटसिख निवासी ज्वालासिहं वाला [illegible] मुख्तयारआम गुरदितसिहं पुत्र [illegible] सिंह जाति जटसिख निवासी [illegible] तहसील अनूपगढ

ईबारत तस्दीक

मै गुरदितसिहं बहैसियत मुख्तयारआम वादी जिसके अगुठें/ हस्ताक्षर नीचे दर्ज है वाद पत्र मे दर्ज तथ्यो को अपने जाति ईल्म व ज्ञान से तथा कानूनी मदो को अपने [illegible] की कानूनी राय मशवरा से सही सही होना प्रमाणित करता हूँ लिहाजा यह ईबारत आज [illegible] अनूपगढ में लिखी जाकर तस्दीक हुई।

दिनांक 10/2/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:40 IST
Reason: SelfAttested

26.06.25

राजीनामा

ब-अदालत उपजिला कलेक्टर,
अनूपगढ।

परमात्मासिंह बनाम् कुलदीपसिंह आदि

वाद पत्र

प्रकरण सं- 12/2025

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे पक्षकारो के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है तथा अब पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही रहा है इसलिए वादी अपने वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। हमारे दोनों पक्षकारों के मध्य हुई सहमति की फोटोप्रति संलग्न है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण के वाद पत्र मे राजीनामा तस्दीक फरमाया जाने की कृपा करे। अति कृपा होगी। दिनांक 26-6-2025

प्रतिवादीगण	वादी
1-कुलदीपसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी चक-22 एपीडी ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। 2-मनदीपसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी चक-22 एपीडी ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।	परमात्मासिंह पुत्र टहलसिंह जाति जटसिख ज्वालासिंह वाला तहसील वा जिला हनुमानगढ जरिए मुखत्यारेआम गुरदित्तसिंह पुत्र मनजीतसिंह जाति जटसिख निवासी 77 जीबी(ए) तहसील अनूपगढ।

कुलदीपसिंह

मनदीप सिंह

Identified by me

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:40 IST
Reason: SelfAttested

मनदीप सिंह